मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्र. 7649/ वित्त एवं लेखा/एनआर–4/NREGS-M.P./2010 भोपाल, दिनांक 21/07/10

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला समस्त (म.प्र.)

विषय :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. अंतर्गत अकुशल श्रम का भुगतान बैंकों के माध्यम से किये जाने बाबत्।

संदर्भ :– 1. इस कार्यालय का पत्र क्र. 4749/वित्त एवं लेखा/ एनआर–4/ एनआरईजीएस एम.पी./ दिनांक 10/05/2010 एवं
2. म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र 5192 एमजीएनआरईजीएस एम.पी./एनआर–4/भोपाल दिनांक 11/06/2010

––0––

विषयांतर्गत महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. अंतर्गत अकुशल श्रम का भुगतान में बैंकों के माध्यम से होने वाले विलंब को टालने के लिए पूर्व में निरंतर ही निर्देशित किया गया है तथा इस संबंध में नियमित समीक्षा भी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। संदर्भित पत्रो द्वारा अधिनियमो के प्रावधानो का पालन एवं पालन न होने पर दंड की भागीदारी सुनिश्चित हो जाना एवं ग्राम रोजगार दिवस के आयोजन बाबत् निर्देश जारी किये गये है।

अपेक्षा है कि राष्ट्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का सफल संचालन एवं अकुशल श्रमको भुगतान में विलंब टालने की स्थितियों की आप सूक्ष्म समीक्षा कर रहे होंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि स्कीम के वित्त वर्ष 2010–11 की कार्य योजना के अनुसार साप्ताहिक रूप से अकुशल श्रम के लंबित भुगतना प्रकरणों की समीक्षा सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अवगत करावे।

अधिनियम के प्रावधान एवं उनके पालन न होने पर दंड प्रदाय करना सुनिश्चित करें एवं अधिनियम के अनुसार आपके उत्तरदायित्व के निर्वहन में किसी भी प्रकार की शिथिलता मान्य नही होगी।

20/7/10

(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्र. 7641 / वित्त एवं लेखा / एनआर–4 / NREGS-M.P. / 2010 भोपाल, दिनांक 21/07/10

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विन्ध्याचल भवन भोपाल।
2. संभाग आयुक्त समस्त की ओर सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि जिला कार्यक्रम समन्वयको की कार्य समीक्षा के दौरान उपरोक्तानुसार भी समीक्षा करने का कष्ट करें।

20/7/10

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल